10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs 10 /   /   / Rs 1020

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

===

निगरानी क्र. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0698 सन 2018

बेटू तनय रामाधार गडरिया नि0 बलरामपुर

तह0 गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन म0प्र0 --- अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर के प्रकरण क्र. 318/स्व.प्रेरणी निगरानी/2004-05 आदेश दि. 10. 10. 2017

कार्यालय कलेक्टर
जिला ...
प्रस्तुतकर्ता का नाम ...
शाखा का नाम ...
दिनांक 17-1-2018
17-1-2018

महोदय,

आवेदक निम्न निगरानी सादर प्रस्तुत करता है :

1. यहकि आराजी ख0नं0 898/2 रकवा 0. 337 आरे मौजा बलरामपुर का चक व्यवस्थापन निगरानीकर्ता के पक्ष में तहसीलदार गौरिहार द्वारा प्रकरण क्र. 6612/बी-121/2001-02 आदेश दिनांक 29. 11. 2002 के द्वारा स्वीकार किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया है जिससे दुखी होकर यह निगरानी पेश की जा रही है।

27-1-18

यहकि आवेदक दिनांक 8. 1. 2018 को हल्का पटवारी के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018 / 0698

बेटू विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 318 / स्व.निग. / 2004—05 में पारित आदेश दिनांक 10—10—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09—10—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	